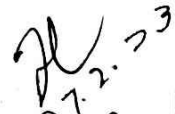


१-१

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
०७.०२.२०२३	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
१६.०२.२०२३	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक ०३.०३.२३ को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

03.03.2023

अभिलेख अपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा रहेगा 345 थाना सं० 41 खाता सं० 10/2 रकबा 2.50 ए० है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 81/I पर आली निगीरों मोस्वीम के नाम से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम अधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर से बन्दोबस्त वाद सं० 178/2022-23 से प्राप्त है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

अध्यक्ष अधिकारी

मनात, पलाश

विषय:- सैंट्रिच / सैंट्रिचस्पद जमावें की केश नं. 140/2016-17 का
ऑन्य प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदन कक्षा है कि
सैंट्रिच / सैंट्रिचस्पद जमावें की केश नं. 140/2016-17 के संबंध
जुमाना मांग पैजी-11 के अवलीकन पश्चात पाया कि
मांगा - रहेया के मांग पैजी-11 के पेज नं. 81/2 पर आधी
मियाँ, मोस्तकीम पिता - रसुल मियाँ के नाम से मांग
कापन है। आफलाइन मांग पैजी-11 के अनुसार धूमि का
पिवाण इस प्रकार है:-

मांगा	इलाका	कलौर	रकबा	परिवर्तन के लिए आधिकार
रहेया	41	10/2	2.50 ए०	Delegation case no. 178/2002-03 by order S.O. Madhamegar.

प्रस्तावित धूमि का एक मात लगान रसीद, दिनांक 5/12/11
की निर्दिष्ट दर्ज है। लगान वर्ष 2009-12 तक कलूर दर्ज है।
रसीद संख्या - 4965476 दर्ज है। मांगाचारी रसुल से धूमि
केंद्रोवली से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई जिसमें
कि उनके द्वारा धूमि केंद्रोवली से संबंधित मकान दस्तावेज
की नफल की दायाप्रति राजस्व रसीद एवं केंद्रोवली फर्मा
की दायाप्रति उपलब्ध कराया गया जो कि साम में
सौलान है। अध्यक्ष मनीन से दूगल कक्षा के
संबंध में ऑन्य प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है।

मांगाचारी रसुल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
यह मामला सैंट्रिच / सैंट्रिचस्पद प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऑन्य प्रतिवेदन अग्रेर कार्रवाई हेतु सादर
समर्पित।


R.S. + C.T.
03/03/23

विश्वासभाजन
अनिल ठुठ रसुल
काठ ठुठ किठ
हलका - 111

सेवा में

श्री मान्द अंचल अधिकारी
भनारु, पलामू,

विषय: संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 140/2016-17 से
सम्बन्धित खाल जांच प्रमाणिक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांगत सम्बन्धित ग्राम - रहेया, बाना, भनारु
बाना नम्बर 345 के अन्तर्गत खाल 51 लोह 10/2 रुकवा 2.50
एवं भूमि पर गया एवं वन्दोषरुधारी के वन्दोषरुधारी नम्बर के
सदर लोह पर धुम कर देखा। देखने से पता चलता है,
कि वन्दोषरुधारी को अंग लोह के रुकवा पर इस्तेमाल है।
अतः आवश्यक कारवाई हेतु जांच प्रमाणिक

सादर सम्प्रेषित है।

विष्वास भाजन

अंचल अधिकारी
भनारु

03/03/23